

अन्य प्रश्नों के पत्रों में वास्तु है पत्रापत्र,  
पूर्वानुसार दिनांक 16/5/22 को पेश हो।

26.04.2022 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण सोमा कौर आदि  
जरिये अधिवक्ता कैलाश धामू द्वारा प्रार्थना-पत्र  
पेश कर निवेदन किया की वादीगण का  
प्रतिवादीगण के साथ राजीनाम हो गया  
वादीगण अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना-पत्र  
सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।  
बाद अवलोकन वादी के फर्द अहकाम  
प्रार्थीगण सख्या 1 ता 4 के हस्ताक्षर करवाये  
गये। वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री  
कैलाश धामू द्वारा की गई। वादीगण का उक्त  
प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया गया। अतः वादपात्र  
वादी मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है।  
पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज  
तकमील दाखिल दफतर हो।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।

